

पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा राज्य सभा में दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 को  
स्वतः वक्तव्य

माननीय महोदय,

में डरबन में पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हुए विचार - विमर्श के संबंध में वक्तव्य देना चाहती हूँ। डरबन सम्मेलन में लिए गए निर्णय न केवल वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण के लिए, बल्कि हमारे देश में वहनीय विकास के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और इसके क्योटो प्रोटोकॉल के तत्वावधान में प्रति वर्ष जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष डरबन सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जारी कार्य को बाली रोड मैप के अनुसार पूर्ण करना था। वर्ष 2007 में बाली में निर्णय लिया गया था कि वित्त, प्रौद्योगिकी, अनुकूलन और उपशमन संबंधी अनेक कदमों द्वारा इस कन्वेंशन के कार्यान्वयन को बढ़ाया जाएगा। साथ ही, यह निर्णय लिया गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों द्वारा वर्ष 2013 से आरंभ होने वाली दूसरी वचनबद्धता अवधि के लिए अपने लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

इन दोनों ट्रैकों में पिछले चार वर्षों से वार्ता चल रही है। वर्ष 2009 में संपन्न कोपेनहेगन सम्मेलन अनिवार्य निर्णय लेने में असमर्थ रहा। उस साल दूसरी वचनबद्धता अवधि के दौरान विकसित देशों हेतु लक्ष्य निर्धारित किए जाने थे। पिछले वर्ष कानकुन में स्थिति में आंशिक रूप से सुधार हुआ जब बाली कार्य योजना संबंधी कुछ निर्णयों को अंतिम रूप दिया जा सका और कुछ पक्षकार उत्सर्जन कटौती के लिए अपनी स्वैच्छिक वचनबद्धता जाहिर करने हेतु सहमत हुए। तथापि, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधी निर्णय नहीं लिए जा सके और बाली कार्य योजना के सभी पहलुओं का संपूर्ण कार्यान्वयन नहीं किया गया।

डरबन सम्मेलन इसी पृष्ठभूमि में आयोजित हुआ। कानकुन के समझौतों को लागू करना इसके महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था। इसमें उपशमन संबंधी वचनबद्धताओं एवं कार्रवाइयों के लिए पारदर्शिता की व्यवस्थाओं, हरित जलवायु निधि की स्थापना, अनुकूलन समिति, और जलवायु प्रौद्योगिकी केन्द्र तथा नेटवर्क से संबंधित कार्य शामिल थे। इसके साथ ही, इसमें बाली कार्य योजना और क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित अपूर्ण कार्य को पूरा किया जाना था। कानकुन में इस पर भी सहमति हुई थी कि डरबन में कानूनी विकल्पों का पता लगाया जाएगा ताकि कानूनी रूप से एक समुचित स्वरूप में प्रासंगिक निर्णयों को कार्यान्वित किया जा सके।

भारत ने जलवायु परिवर्तन संबंधी वार्ताओं में एक स्पष्ट, स्थिर और संवेदनशील कार्यनीति का अनुसरण किया है। इन मामलों पर हमारा दृष्टिकोण हमेशा साम्यता और साझा किन्तु भिन्न-भिन्न उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित रहा है। डरबन में, हम इस तथ्य के प्रति भी सचेत थे कि क्योटो प्रोटोकॉल और दीर्घावधि सहयोगात्मक कार्रवाई संबंधी तदर्थ कार्यकारी समूहों की अवधि समाप्त हो रही है। अतः, हमने यह महत्वपूर्ण समझा कि क्योटो प्रोटोकॉल और बाली मुद्दों से संबंधित निर्णय डरबन में संपन्न कर लिए जाएं।

इस पृष्ठभूमि में, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि डरबन सम्मेलन ने इन मुद्दों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

डरबन सम्मेलन ने क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार विकसित देशों के लिए द्वितीय वचनबद्धता अवधि निर्धारित कर दी है। डरबन में लिए गए निर्णय के माध्यम से इसके लक्ष्य निश्चित कर दिए गए हैं। इन लक्ष्यों को अब 2012 में कतर में पक्षकारों के अगले सत्र में वास्तविक उत्सर्जन सीमाओं में बदल दिया जाएगा। इन लक्ष्यों और उत्सर्जन सीमाओं के अनुसमर्थन हेतु क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों को 2017 तक पांच वर्षों की समयावधि दी गई है।

यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह तथ्य ध्यायेय है कि क्योटो प्रोटोकॉल के मुख्य पक्षकारों द्वारा जोर देने के कारण यह निर्णय लेने में लगभग दो वर्षों का विलम्ब हो चुका था। क्योटो प्रोटोकॉल एक एकल और व्यापक रूप से कानूनी दृष्टि से बाध्यकारी संधि है, जिस पर सबसे पहले वार्ता होनी थी और कन्वेंशन के सभी पक्षकारों पर उसे लागू किया जाना था। डरबन में लिए गए निर्णयों में यह सुनिश्चित किया गया है कि क्योटो प्रोटोकॉल अगले पांच वर्षों के लिए अपनी द्वितीय वचनबद्धता अवधि में 2017 तक जारी रहेगा।

डरबन में लिया गया अन्य महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि कन्वेंशन के अंतर्गत विस्तारित कार्रवाइयों हेतु भविष्य की व्यवस्थाओं पर वार्ता की एक प्रक्रिया आरंभ होगी। इसके पीछे जलवायु स्थिरीकरण के वैश्विक लक्ष्य के प्रति सभी पक्षकारों की महत्वाकांक्षा में वृद्धि करने की मंशा है। डरबन सम्मेलन ने भविष्य में 'प्रोटोकॉल' या 'कानूनी दस्तावेज' या 'कानूनी आधार सहित किसी सम्मत परिणाम', के संबंध में व्यवस्था करने के लिए वार्ताओं के डरबन प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने का निर्णय लिया है, उसे 2015 के बाद अंतिम रूप दिया जाना है और 2020 तक कार्यान्वित किया जाना है। नई व्यवस्थाओं को विद्यमान कन्वेंशन के अंतर्गत तैयार किया जाएगा और ये व्यवस्थाएं साम्यता तथा सीबीडीआर के सिद्धांतों सहित कन्वेंशन के संगत सिद्धांतों और उपबंधों के अध्यक्षीन होंगी।

इन ब्यौरों को अंतिम रूप देने के लिए एक नया तदर्थ कार्यकारी समूह स्थापित किया गया है। इन व्यवस्थाओं को पक्षकारों द्वारा बाली कार्य योजना और कानकुन करारों के अनुसार उनकी वचनबद्धताओं और कार्रवाइयों के कार्यान्वयन में की गई प्रगति के मूल्यांकन के मद्देनजर तय किया जाएगा। अपेक्षित व्यवस्थाओं की प्रकृति का मूल्यांकन करने का आधार होगा जलवायु परिवर्तन संबंधी अन्तर-सरकारी - पैनल (आईपीसीसी) की 5वीं मूल्यांकन रिपोर्ट, 2013-2015 समीक्षा के निष्कर्ष और सहायक निकायों के कार्य।

वर्ष 2020 तक भावी व्यवस्थाओं के लिए समुचित कानूनी स्वरूप का मुद्दा डरबन में गहन वाद-विवाद का विषय था। डरबन मंच पर लिए गए निर्णय के अनुसार अंतिम व्यवस्थाओं के कानूनी स्वरूप के लिए तीन विकल्प नामशः एक प्रोटोकॉल, एक कानूनी दस्तावेज अथवा कानूनी निष्कर्ष परिकल्पित किए गए। विशेषतः यूरोपीय संघ के नेतृत्व में कुछ पक्षकारों ने करार के एक ऐसे स्वरूप पर जोर दिया जोकि सभी पक्षकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो।

भारत का हमेशा विश्वास रहा है कि कानूनी स्वरूप में वास्तविकता होनी चाहिए। कानूनी रूप बाध्यकारी करार की बढ़ती महत्त्वाकांक्षा और इसके कार्यान्वयन के लिए स्वतः कोई गारंटी नहीं है। कुछ क्योटो प्रोटोकॉल पक्षकारों ने क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत अपनी कानूनी बाध्यताओं को हटाने की हाल ही में एकतरफा घोषणाएं की हैं। यह इस तथ्य की ओर एक साफ संकेत है कि एक कानूनी स्वरूप केवल तभी उपयोगी हो सकता है जब तक पक्षकार इसे स्वेच्छा से मानना चाहते हों। इससे अतिरिक्त भारत का हमेशा मत रहा है कि हमारे विकास के इस स्तर पर भारत उत्सर्जन कटौती के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी करार के लिए सहमत नहीं हो सकता। हमारे उत्सर्जन बढ़ेंगे चूंकि हमें सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है और गरीबी उन्मूलन की अनिवार्यता को पूरा करना है।

यूरोपीय संघ के नेतृत्व में कुछ पक्षकार 'कानूनी निष्कर्ष' संबंधी विकल्प को हटाना चाहते थे, जिसका प्रस्ताव मूल रूप से भारत ने रखा था। हमने इस दबाव का सफलतापूर्वक सामना किया है और इसके स्थान पर एक समान अभिव्यक्ति 'कानूनी बल के साथ सहमत निष्कर्ष' का सुझाव दिया, जिसे सभी पक्षकारों ने स्वीकार किया। वर्ष 2020 के बाद की व्यवस्थाओं को जब अन्तिम रूप दिया जाएगा, उनमें कुछ महत्त्वाकांक्षी सीओपी निर्णय, बाध्यकारी सीओपी निर्णय, नए संस्थानों और निकायों की स्थापना और कानून के देशीय अथवा अन्तरराष्ट्रीय उपबंधों के अनुसार विभिन्न बाध्यकारी श्रेणियों के साथ, विभिन्न मामलों को शामिल करते हुए निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए कन्वेंशन के अंतर्गत यथावश्यक नया प्रोटोकॉल अथवा अन्य कानूनी दस्तावेज शामिल होंगे।

4  
में स्पष्ट करना चाहूंगी कि इस निर्णय का यह अर्थ नहीं है कि भारत को अपने उत्सर्जनों को वर्ष 2020 तक पूरी तरह से कम करने के लिए बाध्यकारी वचनबद्धताएं निभानी हैं। भारत ने पहले ही वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 2020 तक के अपने उत्पादन की उत्सर्जन मात्रा को 20-25% तक कम करने का घरेलू उत्सर्जन लक्ष्य घोषित किया है। यह लक्ष्य अन्य बातों पर भी निर्भर है तथा अर्थव्यवस्था की प्रगति के साथ-साथ भारत के उत्सर्जन में वृद्धि की अनुमति देता है। जलवायु परिवर्तन पर हमारी राष्ट्रीय कार्य योजना इस उद्देश्य को पूरा करने के अनुरूप बनाई गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के भाग के रूप में एक ऐसी कार्यनीति को कार्यान्वित करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे इस घरेलू उद्देश्य की प्राप्ति होगी।

भारत ने सुनिश्चित किया कि वर्ष 2020 में नई व्यवस्थाएं कन्वेंशन के अंतर्गत स्थापित हों। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कन्वेंशन के सिद्धान्त और उपबंध ऐसी व्यवस्थाओं पर भी लागू होते रहेंगे जोकि अभी विकसित की जानी हैं। भारत कन्वेंशन के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार साम्यता और साक्षात् परन्तु पृथक् उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के अनुसार दृढ़ता से सहमत निष्कर्षों की प्रकृति पर वार्ता करेगा।

इसके अतिरिक्त, डरबन निर्णयों में यह अधिदेशित है कि किसी भी 'निष्कर्ष' को विधिगत व्यवस्था के माध्यम से लागू करने से पहले सभी पक्षकारों की सहमति आवश्यक है। यह निर्णय भविष्य में निर्धारित किए जाने वाले उपयुक्त कानूनी स्वरूप के चयन में भारत को आवश्यक लचीलापन प्रदान करता है। यह चयन हमारी राष्ट्रीय विकास अनिवार्यताओं और कन्वेंशन के सिद्धान्तों द्वारा निर्देशित होगा।

माननीय महोदय,

डरबन निर्णय द्वारा साँपी गई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के प्रति हम पूरी तरह से सजग हैं। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि भविष्य में साम्यता के मुद्दे को वार्ता का केन्द्र-बिंदु बनाया जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, भारत ने डरबन में प्रस्तावित किया था कि साम्यता, एकपक्षीय व्यापार उपायों और प्रौद्योगिकी संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारों संबंधी मुद्दों को पक्षकारों के सम्मेलन की कार्यसूची में शामिल किया जाए।

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि साम्यता के मुद्दे के महत्व को मान्यता दी गई है तथा दीर्घकालिक सहकारी कार्रवाई पर तदर्थ कार्यकारी समूह (एडब्ल्यूजी-एलसीए) ने अगले वर्ष इस मुद्दे पर एक कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस कार्यशाला में होने वाले विचार-विमर्श से कार्यकारी समूह, जिसकी अवधि दिसंबर, 2012 तक बढ़ाई गई है, के अंतर्गत संगत मुद्दों संबंधी निर्णयों की सूचना मिलेगी। अन्य दो मुद्दों की महत्ता को भी सीओपी द्वारा नोट किया गया है और ये मुद्दे अब चर्चा का विषय हैं, जोकि अगले वर्ष कतर में निर्णयों हेतु एडब्ल्यूजी-एलसीए के विचाराधीन हैं।

सीओपी-17 ने हरित जलवायु निधि की स्थापना करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया जोकि अपने प्रचालनों को एक अंतरिम सचिवालय और एक बोर्ड सहित शीघ्र प्रारम्भ करेगा। इस निधि से अनेक कमजोर देशों को प्रभावी उपशमन और अनुकूलन कार्रवाइयां करने में सहायता मिलेगी। भारत ने डरबन में निधि की स्थापना सुनिश्चित करने में सहायक भूमिका अदा की। अनुकूलन समिति और प्रौद्योगिकी केन्द्र तथा नेटवर्कों को प्रचालनात्मक बनाने में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई।

#### माननीय महोदय

भारत ने इस सम्मेलन में खुले विचार और रचनात्मक भावना से भाग लिया। हमारा मूल उद्देश्य, जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में भारत के दीर्घकालिक हित की रक्षा करना था। इस मामले में हम राजनैतिक सर्वसम्मति से मार्गदर्शित होते रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का मुद्दा दशकों पहले जब से यह वैश्विक चिंता का विषय बना है, तब से ऐसी राजनैतिक सहमति बनी हुई है और यह हमारे राष्ट्रीय दृष्टिकोण का द्योतक है।

अगले कुछ वर्षों में भावी व्यवस्थाओं पर गहन वार्ताएं होंगी। हम भावी विचारधारा का अनुसरण करते रहेंगे जोकि कन्वेंशन और इसके सिद्धांतों के मूल में निहित है। मुझे विश्वास है कि सदन सरकार के दृष्टिकोण का और इस संबंध में भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों का समर्थन करता रहेगा। मुझे आपके मार्गदर्शन और सलाह की अपेक्षा रहेगी।

धन्यवाद

Suo Moto statement by Minister of State (independent charge) for  
Environment & Forests In Rajya Sabha on December 21, 2011

Hon'ble Sir,

I rise to make a statement on the deliberations held in the United Nations climate change conference in Durban last week. The decisions taken in the Durban Conference have implications not only for the protection of global environment but also for sustainable growth in our country.

The climate change conference is held every year under the auspices of the United Nations Framework Convention on Climate Change and its Kyoto Protocol. The key aim of the Durban Conference, this year was to complete the ongoing work as per the Bali Road Map. At Bali in 2007, it had been decided that the implementation of the Convention will be enhanced by a series of steps on finance, technology, adaptation and mitigation. At the same time, it had been decided that the Parties to Kyoto Protocol will finalize their targets for second commitment period commencing from 2013.

The negotiations in the two tracks have been going on for the last four years. The Copenhagen Conference held in 2009 which had to finalize the targets for developed countries during the second commitment period failed to take the necessary decisions. The situation was partially retrieved at Cancun last year when some of the decisions relating to Bali Action Plan could be finalized and some Parties agreed to indicate their voluntary pledges for emission reduction. However, the decisions regarding the Kyoto Protocol could not be taken and all aspects of the Bali Action Plan were not fully implemented.

Durban Conference was held against this background. Operationalizing the Cancun agreements was one of its important tasks. This included work on the transparency arrangements for mitigation pledges and actions, setting up the Green Climate Fund, the Adaptation Committee, and the Climate Technology Centre and Networks. At the same time, it had to complete the unfinished work in respect of the Bali Action Plan and the Kyoto Protocol. It had also been agreed in Cancun that legal options will be explored in Durban to implement the relevant decisions in a legally appropriate form.

7

India has followed a clear, consistent and compassionate strategy to the climate change negotiations. Our stand in these matters has always been based on equity and the principle of common but differentiated responsibility. At Durban, we were also conscious of the fact that the term of the Ad-hoc Working Groups on Kyoto Protocol and Long Term Cooperative Action was coming to an end. We, therefore, considered it important that the decisions relating to the Kyoto Protocol and the Bali issues were concluded in Durban.

Against this background, I am happy to inform the House that the Durban conference has taken some important decisions in relation to these issues.

The Durban Conference has established the second commitment period for the developed countries that are Party to Kyoto Protocol. The targets have been decided through a decision in Durban. These targets will now be converted into actual emission limits in 2012 at the next session of the parties in Qatar. A time frame of 5 years till 2017 has been given to the Kyoto Protocol Parties for ratification of the targets and the emission limits.

This is a major achievement, considering the fact that this decision had been delayed by almost two years because of the insistence of main Kyoto Protocol Parties on a single and comprehensive legally binding treaty, to be negotiated first and made applicable to all parties of the Convention. Durban decisions have ensured that the only legally binding protocol under the Convention i.e., Kyoto Protocol will continue for another 5 years into its second commitment period till 2017.

Another major decision taken in Durban was to begin a process to negotiate on the future arrangements for enhanced actions under the Convention. This is intended to raise the ambition of all Parties towards the global goal of climate stabilization. The Durban Conference has decided to launch Durban Platform for conducting negotiations on the arrangements for a future protocol or a legal instrument or an agreed outcome with legal force, to be finalized no sooner than 2015 and to be implemented not later than 2020. The new arrangements will be designed under the existing Convention and will hence, be subject to the relevant principles and provisions of the Convention including the principles of equity and the CBDR.

8  
1

A new ad-hoc working group has been set up to finalise the details. The arrangements will be negotiated in the light of assessment of progress made by parties in implementing their commitments and actions as per the Bali Action Plan and the Cancun agreements. 5<sup>th</sup> assessment report of the Inter-governmental Panel on Climate Change (IPCC), the outcomes of 2013-2015 review and the work of the subsidiary bodies will be the basis of making assessment of the nature of arrangements needed.

The issue of an appropriate legal form for the future arrangements by 2020 was a matter of intense debate at Durban. As per the decision on Durban Platform, three options for the legal form of final arrangements were envisaged, namely: a protocol, a legal instrument or legal outcome. Some parties led, in particular, by the EU pressed for a form of agreement that should be legally binding on all Parties.

India has always believed that legal form should follow the substance. A legally binding agreement, by itself, is no guarantee for increased ambition or its implementation. Some Kyoto Protocol Parties have recently made unilateral announcements to renounce their legal obligations under the Kyoto Protocol. This is a clear pointer to the fact that a legal form is useful only as long as the party is willing to abide by it. Moreover, India has always taken a stand that India cannot agree to a legally binding agreement for emissions reduction at this stage of our development. Our emissions are bound to grow as we have to ensure our social and economic development and fulfill the imperative of poverty eradication.

Some Parties led by the European Union wanted to delete the option relating to 'legal outcome' which was originally mooted by India., We successfully resisted this pressures and in turn suggested a similar expression 'agreed outcome with legal force' which found acceptance with all the Parties. The post 2020 arrangements, when finalized, may include some aspirational CoP decisions, binding CoP decisions, setting up of new institutions and bodies, and new protocols or other legal instruments as necessary to implement the decisions covering various issues with various degrees of binding-ness as per domestic or international provisions of law under the Convention.

I must clarify that this decision does not imply that India has to take binding commitments to reduce its emissions in absolute terms in 2020. India has already announced a domestic mitigation goal of reducing the emissions

9  
intensity of its output by 20-25% by 2020 in comparison with 2005 level. This goal is relative in nature and allows India's emissions to grow as the economy grows. Our National Action Plan on Climate Change is designed to meet this objective. Further steps to implement a strategy that will meet this domestic goal are being taken as part of implementation of the 12<sup>th</sup> Five Year Plan.

India ensured that the new arrangements in 2020 are established under the Convention. This will ensure that the principles and provisions of the Convention will continue to apply to the arrangements to be developed. India will negotiate the nature of agreed outcome strictly in accordance with the principle of equity and common but differentiated responsibility as provided under the Convention.

Further, the Durban decision mandates that the 'outcome' has to be agreed by all parties before it is implemented through legal arrangements having force. The decision allows India the necessary flexibility over the choice of appropriate legal form to be decided in future. This choice will be guided by our national development imperatives and the principles of the Convention.

Hon'ble Sir,

We are fully conscious of the immense responsibility that the Durban decisions have now placed on us. It is of paramount importance that the issue of equity is brought to the centre-stage of negotiations in future. With this objective in mind, India had proposed at Durban that the issues of equity, unilateral trade measures and technology related intellectual property rights should be included in the agenda of the conference of parties.

I am happy to inform that the importance of the issue of equity has been recognized and the Ad-hoc Working Group on Long term Cooperative Action (AWG LCA) has decided to organize a workshop on the matter next year. The deliberations of the workshop will inform the outcomes on relevant issues under the working group whose term has been extended till December 2012. The importance of the other two issues has also been noted by the CoP and the issues are now part of the discussion text that is under consideration of the AWG-LCA for decisions in Qatar next year.

CoP-17 also took an important decision of establishing the Green Climate Fund which will commence its operations immediately with an interim Secretariat and a Board. The Fund will help a large number of vulnerable countries in taking effective mitigation and adaptation actions. India played a facilitating role in ensuring that the Fund is established in Durban. Substantial progress was also made in relation to operationalizing the Adaptation Committee and the Climate Technology Centre and Networks.

Hon'ble Sir

India participated in the conference with an open mind and constructive spirit. Our primary objective was to protect India's long term interest in the climate change negotiations. In this matter, we have been guided by the political consensus that has been the hallmark of our national position on the issue of climate change ever since this matter became a global concern decades ago.

Next few years will be a period of intensive negotiations on the future arrangements. We will continue to pursue a vision of the future that is rooted in the Convention and its principles. I am confident that the house will continue to share this vision of the Government and support the future steps that will have to be taken. I remain willing to be guided and advised.

Thank you.

\*\*\*\*\*